सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

358वाँ प्रतिवेदन

(लघु जल संसाधन विभाग)

(दिनांक 23/07/2024 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1–22
5. परिशिष्ट	23–48

प्राक्कथन

मैं सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 211 के तहत लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 22 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 358वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 30 अप्रील, 2025 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधान मंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

दामोदर रावत,
सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2025–26 के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
2. श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
3. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
4. श्री गोपाल रविदास	स०वि०स०
5. श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
6. श्री विशाल प्रशांत	स०वि०स०
7. श्री देवेश कान्त सिंह	स०वि०स०
8. श्री ई० शशि भूषण सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची—

1. श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2. श्रीमती पूनम सिन्हा	उप–सचिव
3. श्री शिव शंकर प्रसाद	अवर–सचिव
4. श्री राजीव रंजन कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री राजीव रंजन–III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री रामबाबू सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्रीमती सुषमा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर
10. श्री अमित कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर

(358वाँ प्रतिवेदन)

दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची—

क्रम संख्या	अश्वासन संख्या
1	444 / 07
2	669 / 07
3	1317 / 09
4	1329 / 10
5	138 / 12
6	413 / 12
7	414 / 12
8	146 / 13
9	985 / 16
10	265 / 17
11	385 / 17
12	304 / 18
13	542 / 18
14	543 / 18
15	643 / 18
16	776 / 18
17	91 / 19
18	385 / 19
19	413 / 19
20	585 / 19
21	793 / 19
22	1073 / 19

प्रतिवेदन

लघु जल संसाधन विभाग
आश्वासन संख्या 444/07
प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 475 (लघु–28), दिनांक 7 मार्च, 2007 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्रीमती रेणु देवी, स0वि0स0।

विषय—औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव एवं कुटुम्बा के क्षतिग्रस्त बाँधों की मरम्मती एवं पइनों का निर्माण।

सरकारी आश्वासन

श्री विश्वमोहन कुमार (राज्य मंत्री)—(3) अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कराकर आहर पाइनों के पुनर्स्थापन की योजनायें तैयार की जा रही है।

(ज्ञाप सं0 506–वि0स0, पटना, दिनांक 24 जुलाई, 2007 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 506, दिनांक 24 जुलाई, 2007 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 5444, दिनांक 30 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 669/07

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1624 (लघु–54), दिनांक 21 मार्च, 2007 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्त्ता—श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, स0वि0स0।

विषय—जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम–माछील के नलकूप में मोटर लगाकर नलकूप को चालू करना।

सरकारी आश्वासन

श्री विश्वमोहन कुमार (राज्य मंत्री)—अऊर्जान्वित नलकूप के ऊर्जान्वयन हेतु विद्युत् बोर्ड से अनुरोध किया गया है। विद्युत् बोर्ड द्वारा ऊर्जान्वित करने के उपरान्त पम्प गृह निर्माण पूर्ण कराकर नलकूप को चालू करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 731–वि0स0, पटना, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 731, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 237, दिनांक 13 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 1317/09

प्रसंग एवं विषय

अतारांकित प्रश्न संख्या (त्र–3), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को सदन पटल पर रखे गये तृतीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता—श्री एन0 के0 नन्दा, स0वि0स0।

विषय—पटना के पालीगंज प्रखंड के मुंगिला गाँव के निकट नाला पर छिलका का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

, **प्रभारी मंत्री**—स्वीकारात्मक है। मुंगिला गाँव के निकट नाला पर बना क्रॉस रेगुलेटर क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिसे पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। बरसात के पश्चात् विस्तृत सर्वेक्षण कर योजना तैयार की जा सकेगी तथा दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 1317–वि0स0, पटना, दिनांक 10 फरवरी, 2010 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1317, दिनांक 10 फरवरी, 2010 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 4467, दिनांक 25 जुलाई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 1329/10

प्रसंग एवं विषय

श्री राम लषण राम रमण, स०वि०स० के गैर–सरकारी संकल्प पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन।

विषय—मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के पलार गाँव में सुगरवे नदी पर निर्माणाधीन स्लूईस गेट को पूरा करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने जो हमने कहा, उसको स्थिर से गंभीरता से सुना नहीं। हमने यह नहीं कहा कि यह जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं बन रहा है तो हम इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमने आपको सिर्फ इतनी जानकारी दी कि यह जो स्लूईस गेट की बात आप कर रहे हैं जल्दी बनवाने की यह माईनर इरीगेशन डिपार्टमेंट के काम को भी आपको सरकार के तरफ से आश्वासन देते हैं कि हमलोग इस काम में तेजी लायेंगे। हम इसकी जाँच भी करवा लेते हैं अगर कहीं पर कोई ऐसी बात होगी तो हमलोग जाँच कराकर कार्रवाई भी करेंगे। वो तो हमने आपको अतिरिक्त सूचना दी कि आपके सुगरवे नदी पर भी काम सिंचाई क्षमता के विस्तार करने का कर रहे हैं।

(ज्ञाप सं० 1329–वि०स०, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2011 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1329, दिनांक 19 जनवरी, 2011 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 4967, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 138/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 331 (लघु–9), दिनांक 29 फरवरी, 2012 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री नौशाद आलम, स0वि0स0।

विषय—किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबाघी, बरचौंदी, भोडाबर, काशीबाड़ी एवं अन्य स्थानों पर स्टेट बोरिंग लगाने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा (मंत्री)—प्रश्न में वर्णित एक दिघलबैंक प्रखंड के अधीन दो नलकूप यथा पदमपुर तथा दहिभात अवस्थित है। यह दोनों नलकूप वर्तमान में नाबार्ड फेज II के अधीन गाड़े जा चुके हैं तथा इनके असैनिक एवं यांत्रिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, मात्र ऊर्जान्वयन किया जाना है। ऊर्जान्वयन के लिये विद्युत् बोर्ड को आवश्यक राशि उपलब्ध करायी गई है। विद्युत् बोर्ड द्वारा उक्त नलकूपों को ऊर्जान्वयन के लिये मार्च, 2012 तक का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थलों में वैसे स्थान में जहाँ नलकूप नहीं लगे हैं, उन स्थान में तकनीकी संभाव्यता के लिये अधीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल, पूर्णियाँ को निर्देश दिया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 138–वि0स0, पटना, दिनांक 19 मार्च, 2012 ई0)।

आश्वासन संख्या 413/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1665 (लघु–58), दिनांक 14 मार्च, 2012 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री रणधीर कुमार सोनी, स0वि0स0।

विषय—शेखपुरा जिलान्तर्गत चेबाड़ा प्रखंड के उक्सी आहर, तियाय तालाब, धारी तालाब, गडुआ आहर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कराकर सिंचाई की व्यवस्था कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—प्रश्नान्तर्गत वर्णित योजनाओं का तकनीकी सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वेक्षोपरान्त योजना की संभाव्यता के आधार पर डी0पी0आर0 तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 413–वि0स0, पटना, दिनांक 3 मई, 2012 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 413, दिनांक 3 मई, 2012 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 249, दिनांक 13 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 414/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1600 (लघु–59), दिनांक 14 मार्च, 2012 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स०।

विषय—शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा प्रखंड के मुरारपुर, आहर, एकसारी आहर, मनियण्डा आहर, गगरी आहर, पुरैना आहर, पुरैना पोखर का जीर्णोद्धार कराकर सिंचाई व्यवस्था कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

, **प्रभारी मंत्री**—प्रश्नान्तर्गत शेष आहर के जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी जाँचोपरान्त योजना की सम्भाव्यता होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं० 414–वि०स०, पटना, दिनांक 3 मई, 2012 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 414, दिनांक 3 मई, 2012 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 6038, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 146/13

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 735 (लघु–66), दिनांक 27 फरवरी, 2013 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री तौसीफ आलम, स0वि0स0।

विषय—किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के पीकाबाड़ी पंचायत एवं डसिया टोली एवं चन्दवार मिनिक पंचायत एवं कई पंचायतों में बंद पड़े स्टेट ट्यूबवेल को चालू करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—विद्युत् विभाग द्वारा ऊर्जान्वियन के पश्चात् इन नलकूपों को शीघ्र चालू करा लिया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 146–वि0स0, पटना, दिनांक 12 मार्च, 2013 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 146, दिनांक 12 मार्च, 2013 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 833, दिनांक 2 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 985/16

प्रसंग एवं विषय

श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0 के गैर–सरकारी संकल्प पर दिनांक 4 अप्रील, 2016 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन।

विषय—सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडान्तर्गत बन्जरही ग्राम से होकर बहने वाली हल्दी नदी में ग्राम बन्जरही के निकट स्लूईस गेट का निर्माण कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री आलोक कुमार मेहता (मंत्री)—महोदय, इस स्लूईस गेट के निर्माण का प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गाय है, वहाँ से स्वीकृति तथा राशि प्राप्ति के पश्चात् इसका निर्माण करा दिया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 3610–3613–वि0स0, पटना, दिनांक 10 जनवरी, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3610–3613, दिनांक 10 जनवरी, 2017 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 3886, दिनांक 26 जून, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 265/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1072 (त्र–99), दिनांक 8 मार्च, 2007 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री बृज किशोर बिन्द, स0वि0स0।

विषय—कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरुषोत्तम ग्राम के दक्षिण गेहुअनवा नदी पर बाँध का निर्माण कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मंत्री)—महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरुषोत्तम ग्राम के दक्षिण कोहिरा नदी बहती है जिसपर कोहिरा जलाशय एवं इसके डाउनस्ट्रीम में राजपुर बीयर निर्मित है। राजपुर बीयर के अपस्ट्रीम से निःसृत सिंकदरपुर एवं नरोतमपुर माईनर से सिकंदरपुर, ओखरा, पुरुषोत्तमपुर गंगापुर एवं रामपुर (पाँच) गाँवों के किसानों को पटवन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्नाधीन गेहुअनवा नदी पर बाँध निर्माण कर विषयांकित ग्रामों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को विभागीय पत्रांक 355, दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

श्री बृज किशोर बिन्द—पुरूषोत्तमपुर गाँव के दक्षिण नदी में बाँध, बाँध दिया जाये तो पाँच गाँव के लोगों का खेत का पटवन खुब बढ़िया होगा और फसल नहीं सूखेगा। हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी कि वहाँ बाँध, बाँध दिया जाये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मंत्री)—महोदय, असल में समस्या यह है कि प्रश्न तो कीजिए और उसका उत्तर ध्यान से मत सुनिये। मैंने अपने उत्तर में कहा कि प्रश्नाधीन गेहुअनवा नदी पर बाँध निर्माण कर विषयांकित ग्रामों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को विभागीय पत्रांक 355, दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

(ज्ञाप सं0 1057–1060–वि0स0, पटना, दिनांक 8 मई, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1057–1060, दिनांक 8 मई, 2017 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 4466, दिनांक 25 जुलाई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 385/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1685 (त्र–109), दिनांक 15 मार्च, 2017 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री बृज किशोर बिन्द, स0वि0स0।

विषय—कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरूषोत्तमपुर गाँव के दक्षिण गेहुअनवां नदी पर बाँध का निर्माण कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरूषोत्तम ग्राम–के दक्षिणकोहिरा नदी बहती है, जिसपर कोहिरा जलाशय एवं इसके डाऊनस्ट्रीम में राजपुर बीयर निर्मित है। राजपुर बीयर के अपस्ट्रीम से निःसृत सिंकदरपुर एवं नरोत्तमपुर माईनर से सिंकदरपुर, ओखरा, पुरूषोत्तमपुर गंगापुर एवं रामपुर (पाँच) गाँवों के किसानों को पटवन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रश्नाधीन गेहुअनवा नदी पर बाँध निर्माण कर विषयांकित ग्रामों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन डिहरी को विभागीय पत्रांक 355, दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

(ज्ञाप सं0 1537–1540–वि0स0, पटना, दिनांक 18 मई, 2017 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1537–1540, दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 4488, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 304/18

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1886 (लघु–04), दिनांक 21 मार्च, 2018 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0।

विषय—गया जिलान्तर्गत टनुकुप्पा प्रखंड के ईटाडीह फेरू, विगहा आहर पईन का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मंत्री)—इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत कराने हेतु केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति मिलने पर इसका जीर्णोद्धार कार्य कराया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 1213–1216–वि0स0, पटना, दिनांक 17 मई, 2018 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1213–1216, दिनांक 17 मई, 2018 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 3399, दिनांक 1 जून, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 542/18

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2345 (लघु–53), दिनांक 28 मार्च, 2018 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—श्री अमित कुमार, स0वि0स0।

विषय—सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड के पकड़ी मठवा एवं अन्हारी माडर में नलकूप को चालू कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मंत्री)—प्रश्नगत दोनों नलकूप विद्युत् दोष से बंद है। इन नलकूपों का विद्युत् दोष दूर करने हेतु विद्युत् विभाग से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुरोध किया है। विद्युत् दोष दूर होने के पश्चात् दोनों नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 2165–2168–वि0स0, पटना, दिनांक 14 जून, 2018 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2165–2168, दिनांक 14 जून, 2018 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 6039, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 543/18

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2355 (लघु–45), दिनांक 28 मार्च, 2018 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता—डॉ० फराज फातमी, स०वि०स०।

विषय—दरभंगा के केवटी प्रखंड के केवटी–1 एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी–2 के बंद नलकूपों को चालू करवाने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मंत्री)—प्रश्नगत नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, निधि उपलब्धता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर नलकूपों के जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं० 2169–2172–वि०स०, पटना, दिनांक 14 जून, 2018 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2169–2172, दिनांक 14 जून, 2018 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 3885, दिनांक 26 जून, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 643/18

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 302 (लघु–05), दिनांक 25 जुलाई, 2018 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री बशिष्ठ सिंह, स0वि0स0।

विषय—बाँध एवं फॉल की जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मंत्री)—बाँध एवं फॉल की जीर्णोद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा इसका डी0पी0आर0 के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 2476–वि0स0, पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2018 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2476, दिनांक 23 अगस्त, 2018 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1579, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 776/18

प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (लघु–27), दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता—श्री फैयाज अहमद, स०वि०स०।

विषय—मधुबनी जिला के रहिका प्रखंडान्तर्गत रहिका (टोले बहतारा) में नाबार्ड फेज तीन के अन्तर्गत डीजल आधारित एक स्टेट नलकूप को चालू कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा नाबार्ड फेज 3 के नलकूपों को सोलर ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने का प्रस्ताव है। निधि की उलपब्धता के आधार पर सोलर ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने के पश्चात् नलकूप को चालू कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ज्ञाप सं० 2609–वि०स०, पटना, दिनांक 20 फरवरी, 2019 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2609, दिनांक 20 फरवरी, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 6771, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 91/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 538 (लघु–08), दिनांक 13 फरवरी, 2019 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री जय वर्धन यादव, स0वि0स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड स्थित ग्राम–सोहनबिगहा में वर्ष 1965 में निर्मित आहर पर पुल एवं स्लूईस गेट ध्वस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल एवं स्लूईस गेट ध्वस्त होने के कारण पालीगंज अनुमंडल के चार पंचायतों के कृषकों को सिंचाई में कठिनाई होती है एवं स्थानीय कृषक श्रमदान कर हर वर्ष स्लूईस गेट के स्थान पर कच्ची दीवार का निर्माण कर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं जो पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल एवं स्लूईस गेट का निर्माण कबतक कराने के विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) संरचना का रूपांकण कराकर एवं डी0पी0आर0 तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 91–वि0स0, पटना, दिनांक 4 अप्रील, 2019 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 91, दिनांक 4 अप्रील, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1572, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 385/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 726 (लघु–37), दिनांक 10 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री जय वर्धन यादव, स0वि0स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम–बाला बिगहा स्थित स्लूईस गेट में गेट नहीं रहने के कारण सिंचाई हेतु पानी रोकना संभव नहीं हो पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्लूईस गेट की मूल संरचना बर्तमान में भी सही स्थिति में है परन्तु गेट नहीं रहने के कारण किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्लूईस गेट की संरचना का रख–रखाव करते हुये उसमें गेट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। संरचना का एक बिंगवाल क्षतिग्रस्त अवस्था में है। मूल संरचना में स्टील गेट लगाने का प्रावधान नहीं था।

(3) मूल संरचना में स्टील गेट का प्रावधान नहीं था। पूर्व में लकड़ी की पटट्टी (Planks) लगाकर पटवन होता था। स्टील गेट लगाने के लिये वीयर के पीयर/पाया तथा एवटमेंट की मोटाई बढ़ानी होगी। इसमें गेट के संचालन के लिए ओपरेटिंग प्लेटफार्म भी बनाना होगा। इसके लिये योजना का नये सिरे से रूपांकण कराकर एवं डी0पी0आर0 तैयार की निधि उपलब्धता के आलोक में नया निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 385–वि0स0, पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 385, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1573, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XVIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 413/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 841 (लघु–42), दिनांक 10 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री राज किशोर सिंह, स०वि०स०।

प्रश्न—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली प्रखंड के अबुलहसनपुर पंचायत के अबुलहसनपुर ग्राम में सीताराम सिंह के घर के निकट एवं केदार सिंह के बथान के निकट वर्ष 2004 में निर्मित राजकीय नलकूप ऑपरेटर के अभाव एवं डिलीवरी पाईप क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) प्रश्नाधीन नलकूप संचालन एवं मरम्मती हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया है। उक्त नलकूप को चालू कराने हेतु अपेक्षित राशि संबंधित ग्राम पंचायत को उपलबध करा दी गई है। मरम्मती कराकर पंचायत द्वारा नलकूपों को शीघ्र चालू करा दिया जायेगा।

(ज्ञाप सं० 413–वि०स०, पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 413, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 6772, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XIX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 585/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1465 (लघु–25), दिनांक 17 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के गौनाहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत बाजड़ा अन्तर्गत पटनी बाँध की मरम्मती एवं उसमें डैटेम वॉल निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सरकार को पत्रांक 306, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014, पत्रांक 571, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 एवं पत्रांक 749, दिनांक 9 अप्रील, 2016 को पत्र लिखा गया था, किन्तु डैटेम वॉल का निर्माण व बाँध की मरम्मती की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(2) यदि हाँ, तो उक्त बाँध की मरम्मती एवं नये डैटेम वॉल नहीं बनाने का क्या औचित्य है ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। योजना के संबंध में प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है।

(2) स्थल का सर्वेक्षण कार्य कराया जायेगा। सर्वेक्षणोंपरान्त योजना तकनीकी दृष्टिकोण से उपयोगी पाये जाने पर डी0पी0आर0 बनवाकर विहित प्रक्रिया के तहत निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं0 585–वि0स0, पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 585, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1548, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 793/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2124 (लघु–62), दिनांक 24 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता—श्री राजेश कुमार, स0वि0स0।

प्रश्न—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड अन्तर्गत बुढ़ा–बुढ़ी बाँध का निर्माण हेतु प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत (लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद) वर्ष 2017 में प्रस्तावित होने के बाद भी अबतक निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रस्तावित स्थल पर बाँध की स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के अन्तर्गत बुढ़ा–बुढ़ी बाँध का निर्माण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजे गये 66 योजनाओं में सम्मिलित है। योजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।

(ज्ञाप सं0 793–वि0स0, पटना, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 ई0)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 793, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1571, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 1073/19
प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या 1465 (लघु–43), षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को सदन पटना पर रखे गये पंचम सत्र के प्रश्नोत्तरों की (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता—श्री जयवर्द्धन यादव, स०वि०स०।

विषय—(1) पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कटका पैगम्बरपुर स्थित कटका बाँध (छिलका) दस वर्षों से जर्जर है एवं स्लूईस गेट भी सही अवस्था में नहीं रहने के कारण पाँचों पंचायत के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित रह जाते हैं ;

(2) तो कटका बाँध एवं स्लूईस गेट का जीर्णोद्धार कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। खरीफ अवधि 2016 के इससे पटवन हुआ है।

(2) पटना जिला के पालीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटका पैगम्बरपुर में स्थित स्लूईस गेट से विगत खरीफ अवधि 2016 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है, विगत वर्ष में अचानक अत्यध्कि वर्षा एवं बाढ़ के कारण स्लूईस गेट क्षतिग्रस्त हो गया है।

क्षतिग्रस्त स्लूईस गेट का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। निधि उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

कटका बाँध एवं इसके निम्नधार में निसृतः पईन का जीर्णोद्धार कार्य का सर्वेक्षण कराया गया है। प्राक्कलन तैयार कर निधि उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप सं० 1073–वि०स०, पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1073, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। लघु जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 1569, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट–XXII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/(आश्वा0)–267/13–5444

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 30 अगस्त, 2023 (ई0)।

विषय—श्रीमती रेणु देवी, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–28 पर आधारित आश्वासन संख्या 444/2007 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 444, दिनांक 7 मार्च, 2007 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि श्रीमती रेणु देवी, मा0स0वि0स0 से प्रापत तारांकित प्रश्न संख्या लघु–28 पर आधारित आश्वासन संख्या 444/07 जो औरंगाबाद जिलानतर्गत प्रखंड देव एवं कुदम्बा के क्षतिग्रस्त बाँधों की मरम्मती एवं पईनों का निर्माण कराने से संबंधित है।

वर्णित प्रखंडों के अन्तर्गत आहर पईन का कार्य करा दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद की पत्र प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन संख्या 444/07 का पूर्ण मानते हुये लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

सं0 906/औरंगाबाद
कार्यालय, कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल,
औरंगाबाद।

सेवा में

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

दिनांक 22 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्रीमति रेणु देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–28 पर आधारित आश्वासन संख्या 444/2007 का उत्तर प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—विभागीय पत्रांक 3625, दिनांक 13 जून, 2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि श्रीमति रेणु देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–28 पर आधारित आश्वासन संख्या 444/2007 का उत्तर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता।

श्रीमती रेणु देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–28 पर आधारित आश्वासन संख्या 444/2007 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न—(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव एवं कुटुम्बा के किसान जमींदारी, बाँध एवं आहरों पर निर्भर है, जिसके माध्यम से सिंचाई कार्य होता है।

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड देव एवं कुटुम्बा के जमींदारी बाँध एवं आहर अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो चुके है एवं पईन भी नष्ट हो गये है, जिससे सिंचाई कार्य बाधित हो चुका है।

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त बाँधो की मरम्मती एवं पइनों के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?

उत्तर—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक।

(3) औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव एवं कुटुम्बा क्षेत्राधीन सिंचाई से संबंधित आहर एवं पईन का कार्य कराया गया है। (1) ग्राम–भरत में पोखर एवं पईन का जीर्णोद्धार कार्य (2) ग्राम–तेतराईन में चेकडैम का निर्माण एवं आहर का जीर्णोद्धार कार्य (3) ग्राम–ढ़िबरा में पोखरा का जीर्णोद्धार कार्य (4) ग्राम–बैरांव में पोखर का जीर्णोद्धार कार्य।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव (1) दिवान विगहा का पोखर का जीर्णोद्धार कार्य (2) ग्राम–खखरा में आहर का जीर्णोद्धार कार्य (3) ग्राम–गोल्हा में आहर का जीर्णोद्धार कार्य (4) पचोखर गाँव के पोखर का जीर्णोद्धार कार्य (5) बरहेता करमडीह आहर का जीर्णोद्धार कार्य (6) ग्राम–उपरदाहा में आहर–पईन का जीर्णोद्धार कार्य (7) ग्राम–हसौली में टेकारी नाला पर चेकडैम का निर्माण कार्य कराया गया है जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रहा है।

(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।

परिशिष्ट–II

सं० प्र०–06/ल०ज०सं०/वि०स०/(आश्वा०)–63/07–237

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 13 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय—श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–54 पर आधारित आश्वासन संख्या 669/07 के संबंध में।

प्रसंग—आपका ज्ञाप संख्या 731, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त आश्वासन संख्या 669/07 के संबंध में सूचित करना है कि "जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम–मांझिल के नलकूप में मोटर लगाकर नलकूप चालू कराने से संबंधित" है।

वर्तमान में जगपुरा ग्राम पंचायत द्वारा मांझिल राजकीय नलकूप का कार्य कराकर चालू कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–III

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/आश्वा0–178/21–4467

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 25 जुलाई, 2023 (ई0)।

विषय—श्री एन0 के0 नन्दा, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या त्र–3 पर आधारित आश्वासन संख्या 1317/09 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 1317, दिनांक 10 फरवरी, 2010 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन "पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के मुंगिला गाँव के निकट नाला पर छिलका का निर्माण कराने" से संबंधित है।

विषयांकित आश्वासन संख्या 1317/09 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लाभान्वित कृषकों को सिंचाई सुविधा दी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस विषयांकित आश्वासन को लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा किया जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–IV

सं0 प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0(आश्वा0)–38 / 2011–4967

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (ई0)।

विषय—श्री राम लषण राम रमण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त गैर–सरकारी संकल्प संख्या 47 / 10 पर आधारित आश्वासन संख्या 1329 / 10 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 1329, दिनांक 19 जनवरी, 2011 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि श्री राम लषण राम रमण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त गैर–सरकारी संकल्प संख्या 47 / 10 पर आधारित आश्वासन संख्या 1329 / 10 जो मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के पलार गाँव में सुगरवे नदी पर निर्माणधीन स्लूईस गेट को पूरा कराने से संबंधित है।

वर्णित योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे पूर्ण मानते हुये विषयांकित आश्वसन संख्या 1329 / 11 को ल0ज0स0वि0 के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–V

सं0 प्र0–06 / ल0ज0सं0 / न0प्र0 / आश्वासन–11 / 12–1577

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री नौशाद आलम, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–09 पर आधारित आश्वासन संख्या 138 / 12 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 138, दिनांक 19 मार्च, 2012 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड के अधीन 2 नलकूप (पदमापुर एवं दहीभात) को चालू कराने तथा शेष प्रश्नाधीन स्थलों पर नये नलकूप लगाने से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अद्यतन स्थिति इस प्रकार है। आश्वासनाधीन दिघलबैंक प्रखंड के दोनों नलकूप वर्तमान में चालू है। राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–VI

सं० प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/आश्वा0–73/12–249

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 13 जनवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री रणधीर कुमार सोनी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–58 पर आधारित आश्वासन संख्या 413/12 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 413, दिनांक 3 मई, 2012 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन शेखपुरा जिलान्तर्गत चेबाड़ा प्रखंड के उक्सी आहर, तियाय तालाब, धारी तालाब, गड्डुआ आहर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कराने से संबंधित है। इस संबंध में अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :–

आश्वासनाधीन स्थलों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि तियाय तालाब तथा धारी तालाब का कार्य अन्य विभाग द्वारा करा दिया गया है, गड्डुआ तालाब एवं आहर का कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण करा दिया गया है तथा उक्सी आहर का कार्य ग्रामीण भूमि संरक्षण द्वारा करवा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–VII

सं० प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/आश्वा0–62/12–6038

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री रणधीर कुमार सोनी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–59 पर आधारित आश्वासन संख्या 414/12 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 414, दिनांक 3 मई, 2012 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा प्रखंड के मुरारपुर आहर, एकसारी आहर, मनियण्डा आहर, गगरी आहर, पुरैना आहर, पुरैना पोखर एवं चाड़े आहर का जीर्णोद्धार कराने से संबंधित है इस संबंध में वर्तमान अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :–

मनियण्डा आहर का कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 में एकसारी एवं चाड़े आहर का कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में एवं मुरारपुर आहर का कार्य ऐझी आहर में सम्मिलित है, जो वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण हो गया है। गगरी आहर एवं पुरैना आहर का कार्य मनरेगा एवं जिला परिषद् शेखपुरा से करवा लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–VIII

सं0 प्र0–06/ल0ज0सं0/न0प्र0/आश्वा0–15/13–833

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 2 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री तौसीफ आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–66 पर आधारित आश्वासन संख्या 146/13 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 146, दिनांक 12 मार्च, 2013 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के बंद नलकूपों को चालू कराने से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :–

आश्वासनाधीन फेज–II के सात अदद् नलकूपों में से 6 अदद् नलकूपों को चालू करा दिया गया है तथा एक अदद् नलकूप 'देसिया टोली' परित्यक्त की श्रेणी में है। चालू नलकूपों में मोटर जल जाने के कारण दुआडांगी एवं गोपालपुर नलकूप वर्तमान में दिसम्बर, 2022 से बंद है, जिसे शीघ्र चालू करा दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–IX

सं० प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/आश्वा0–127/16–3886

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 26 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्रीमती गायत्री देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त गै0स0सं0 संख्या 183 पर आधारित आश्वासन संख्या 985/16 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 3610–3613, दिनांक 10 मार्च, 2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंडान्तर्गत बंजरही ग्राम से होकर बहने वाली हल्दी नदी में ग्राम–बंजरही के निकट स्लूईस गेट का निर्माण कराने से संबंधित है। उक्त आश्वासनाधीन स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इससे ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–X

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/(आश्वा0)–303/2017–4466

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 25 जुलाई, 2023 (ई0)।

विषय—श्री बृज किशोर विन्द, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–99 पर आधारित आश्वासन संख्या 265/17 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 1057–1060, दिनांक 8 मई, 2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन संख्या 265/17 "कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरूषोत्तमपुर ग्राम के दक्षिण गेहुअनवों नदी पर बाँध का निर्माण" कराने से संबंधित है।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर के द्वारा सूचित किया गया है कि पुरूषोत्तम गाँव के दक्षिण कोहीरा नदी बहती है, इस नदी पर जल संसाधन विभाग का कोहिरा बाँध (जरादहवा बाँध) बना हुआ है, जिससे पुरूपोषत्तमपुर गाँव के मौजा का पटवन होता है। फलस्वरूप उक्त स्थल पर बाँध की आवश्यकता नही है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को पूर्ण मानते हुए इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

संo सं0–मु0अ0/ल0ज0सं0/विधान सभा 168/2021–1649

मुख्य अभियंता का कार्यालय,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेषक

ई0 सुनील कुमार,
मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक 12 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्री बृज किशोर बिन्द, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–99 पर आधारित आश्वासन संख्या 265/17 के संबंध में।

प्रसंग—कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर मोहनियाँ का पत्रांक 991, दिनांक 5 जून, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है श्री बृज किशोर बिन्द, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–99 पर आधारित आश्वासन संख्या 265/17 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ई0 सुनील कुमार,
मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सं0 991/मोहनिया
कार्यालय कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर मोहनिया

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल,
कैमूर, मोहनियाँ।

सेवा में

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक 5 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्री बृज किशोर बिन्द, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–99 पर आधारित आश्वासन संख्या 265/17 के संबंध में।

प्रसंग—विभागीय पत्रांक 3285, दिनांक 27 मई, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री बृज किशोर बिन्द, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–99 पर आधारित आश्वासन संख्या 265/17 का कार्यान्वयन/अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

प्रश्न—कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरूषोत्तमपुर ग्राम के दक्षिण गेहुअनवा नदी पर बाँध का निर्माण करने के संबंध में।

कार्यान्वयन/अनुपालन प्रतिवेदन—विषयाधीन मामले का स्थल निरीक्षण किया गया, पुरूषोत्तमपुर गाँव के दक्षिण कोहीरा नदी बहती है, उक्त नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा कोहिरा बाँध (जगदहवा बाँध) बना हुआ है। कोहिरा बाँध से सिंकदरपुर माईनर, नरोत्तमपुर माईनर निकला है, जिससे पुरूषोत्तमपुर गाँव के मौजा का पटवन होता है तथा पुरूषोत्तमपुर गाँव के नीचे कोहिरा नदी पर वियुर में बीयर बना हुआ है जिससे नदी में पानी का स्तर बना रहता है। फलस्वरूप उक्त स्थल पर बाँध की आवश्यकता नहीं है।

अतः यह भवदीय को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
कार्यपालक अभियंता।

परिशिष्ट–XI

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/(आश्वा0)–304/20–4488

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (ई0)।

विषय—श्री बृज किशोर बिन्द, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र–109 पर आधारित आश्वासन संख्या 385/17 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 1537–1540, दिनांक 18 मई, 2017 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 1648, दिनांक 12 जून, 2023 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन संख्या 385/17 "कैमूर जिलान्तर्गत चैन प्रखंड के पुरूषोत्तमपुर ग्राम के दक्षिण गेहुअनवॉ नदी पर बाँध का निर्माण" कराने से संबंधित है।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर के द्वारा सूचित किया गया है कि पुरूषोत्तमपुर गाँव के दक्षिण कोहीरा नदी बहती है, इस नदी पर जल संसाधन विभाग का कोहिरा बाँध (जरादहवा बाँध) बना हुआ है, कोहिरा बाँध से सिकंदरपुर माईनर, नरोत्तमपुर माईनर निकला है, जिसमें पुरूपोषत्तमपुर गाँव के मौजा का पटवन होता है तथा उक्त गाँव के नीचे कोहिरा नदी पर वियुर में बीयर बना हुआ है जिससे नदी में पानी का स्तर बना रहता है। फलस्वरूप उक्त स्थल पर बाँध की आवश्यकता नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को पूर्ण मानते हुए इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XII

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा0–19/18–3399

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 1 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्री कुमार सर्वजीत, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–4 पर आधारित आश्वासन संख्या 304/2018 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 1213–1216, दिनांक 17 मई, 2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के ईटाडीह फेरू बिगहा आहर पईन का जीर्णोद्धार कराने से संबंधित है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन योजना का कार्य वर्ष 2020 में पूर्ण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XIII

सं० प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/(तारा)–91/18–6039

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–53 पर आधारित आश्वासन संख्या 542/18 के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 2165–2168, दिनांक 14 जून, 2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड के पकड़ी मठवा एवं अन्हारी माड़र में नलकूप को चालू कराने से संबंधित है।

उक्त आश्वासनाधीन दोनों नलकूपों का विद्युत् दोष दूर कराकर चालू करा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XIV

सं0 प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारा0–89 / 18–3885

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 26 जून, 2023 (ई0)।

विषय—श्री डॉ0 फराज फातमी, माननीय सदस्य विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–45 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 543 / 18 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2169–2172, दिनांक 14 जून, 2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन दरभंगा जिला के केवटी–1 तथा सिहवाड़ा प्रखंड के सिमरी–2 के बन्द नलकूपों को चालू कराने से संबंधित है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन दरभंगा जिला के केवटी–1 तथा सिहवाड़ा प्रखंड के सिमरी–2 नलकूप को ग्राम पंचायत के माध्यम से चालू करा दिया गया है।

अतः उक्त आश्वासन को लघु जल संसाधन विभाग के आश्वासनों की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XV

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा0–207/18–1579

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री वशिष्ठ सिंह, मा0 स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–05 पर आधारित आश्वासन संख्या 643/18 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 2476, दिनांक 23 अगस्त, 2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड में घोघरडीहा गाँव के दक्षिण नारा में फॉल एवं बहुआरा गाँव के पास बाँध एवं फॉल के निर्माण से संबंधित है।

उक्त आश्वासन के संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन बाँध एवं फॉल का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2021–22 में पूर्ण कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XVI

सं० प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा–52/16–6771

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 (ई0)।

विषय—श्री फैयाज अहमद, माननीय सदस्य विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–27 पर आधारित आश्वासन संख्या 776/18 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 2609, दिनांक 20 फरवरी, 2019 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संदर्भित आश्वासन मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अन्तर्गत रहिका (टोले बहतारा) में अवस्थित नावार्ड फेज 3 के नलकूप को चालू कराने के संबंध में है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन रहिका नलकूप को ग्राम पंचायत के माध्यम से चालू करा दिया गया है तथा इससे किसानों को पटवन सुविधा प्राप्त हो रही है।

अतः अनुरोध है कि इस आश्वासन की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XVII

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा0–18/19–1572

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री जयवर्धन यादव, मा0स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–08 पर आधारित आश्वासन संख्या 91/19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 91, दिनांक 4 अप्रील, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम–सोहन बिगहा के आहर पर पुल एवं स्लूईस गेट निर्माण कराने के संबंध में है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन स्लूईस गेट एवं पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

परिशिष्ट–XVIII

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा0–128/19–1573

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री जयवर्धन यादव, मा0स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–37 पर आधारित आश्वासन संख्या 385/19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 385, दिनांक 2 सितम्बर, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम–बालाबगहा स्थित स्लूईस गेट में गेट लगाने के संबंध में है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन स्लूईस गेट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लाभान्वित कृषकों को सिंचाई सुविधा दी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XIX

सं0 प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा0–139/19–6772

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 (ई0)।

विषय—श्री राजकिशोर सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–02 पर आधारित आश्वासन संख्या 413/19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 413, दिनांक 2 सितम्बर, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संदर्भित आश्वासन वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड के अबुलहसनपुर पंचायत के अबुलहसनपुर ग्राम में सीताराम सिंह के घर के निकट एवं केदार सिंह के बथान के निकट वर्ष 2004 में निमित राजकीय नलकूप चालू कराने से संबंधित है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन पंचायत में तीन नलकूप है। इनमें से चकंदरीया (फेज–11) तथा पौनी हसनपुनपुर–1 (फेज–8) को चालू कर दिया गया है एवं पौनी हसनपुर–2 (फेज–8) नलकूप को वितरण प्रणाली ध्वस्त रहने, नगण्य कमांड क्षेत्र एवं आस–पास में निजी बोरिंग की उपलब्धता इत्यादि कारणों से परित्यक्त घोषित किया जा चुका है।

चूंकि आश्वासन का अनुपालन किया जा चुका है अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन को विभाग की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XX

सं0 प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारा0–109 / 19–1548

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या लघु–25 पर आधारित आश्वासन संख्या 585 / 19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 585, दिनांक 20 सितम्बर, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन बेतिया जिला के गौनाहा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाजाड़ा के पटनी बाँध की मरम्मती एवं उसमें डैटेम वॉल निर्माण के संबंध में है।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन योजना "गौनाहा प्रखंड के ग्राम पंचायत बाजाड़ा अन्तर्गत जमुआ नदी पर पटनी चैक डैम का निर्माण "हर खेत तक सिंचाई कर पानी" योजनान्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में कृषकों को इससे पटवन का लाभ मिल रहा है।

चूंकि उक्त आश्वासन का अनुपालन किया जा चुका है अतः अनुरोध है कि इसे लघु जल संसाधन विभाग की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XXI

सं0 प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारा0–178 / 19–1571

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री राजेश कुमार, मा0स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–62 पर आधारित आश्वासन संख्या 793 / 19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 793, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के बुढ़ा–बुढ़ी बाँध का निर्माण कराने के संबंध में।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन बाँध का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2020–21 में पूर्ण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–XXII

सं0 प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारा0–378 / 19–1569

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना।

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्री जयवर्धन यादव, मा0स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या लघु–43 पर आधारित आश्वासन संख्या 1073 / 19 के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 1073, दिनांक 21 नवम्बर, 2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित आश्वासन पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कटका बाँध (छिलका) का जीर्णोद्धार कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

इस संबंध में सूचित करना है कि आश्वासनाधीन स्लूईस गेट का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लाभान्वित कृषको को सिंचाई सुविधा दी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को अनुपालित मानते हुये इसे लघु जल संसाधन विभाग के लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
संतोष कुमार,
सरकार के अवर–सचिव।

बि0स0मु0, 05(एल0ए0)–2025–26–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026